बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 2/अ0प्र0–2–56/14 1018/पटना, दिनांक :– 2-6-2020

श्री राम चन्द्र राम, तदेन सहायक अभियंता के विरूद्ध ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल में पदस्थापन काल (वर्ष 2009–2013) से संबंधित दो मामलों में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

प्रथम– कार्यपालक अभियंता, निगरानी प्रमंडल सं0–3 (मु0) के पत्रांक 710 अनु0 दिनांक 11.10.11 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आधार पर अरवल प्रखण्ड में प्रसादी इंगलिस से दुनः छपरा पथ की मरम्मति कार्य में एकरारनामा से अधिक का भुगतान करने के आरोप में श्री राम के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 2870 अनु0 दिनांक 13.09.17 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री राजीव रंजन कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 507 दिनांक 14.01.2019 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य है कि एकरारनामा से अधिक कार्य का ससमय विचलन कार्यपालक अभियंता के समक्ष नहीं प्रस्तुत करने के लिए श्री राम दोषी हैं। अतएव संचालन पदाधिकारी के उक्त जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री राम द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 14.05.2019 के माध्यम से द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया जिसमें यह उल्लेख है कि कार्य के दौरान स्थलीय आवश्यकतानुसार भुगतान की राशि में बढ़ोतरी की बात परिलक्षित हुई जो BOQ से मात्र 9.99 % अधिक थी तथा BOQ से 10 % अधिक कार्य कराकर भुगतान करने की शक्ति कार्यपालक अभियंता को प्रदत है। कार्यपालक अभियंता इससे निरंतर अवगत थे। श्री राम ने अपने द्वितीय बचाव बयान में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया कि उनके द्वारा कार्यपालक अभियंता से इसकी अनुमति/स्वीकृति ली गई थी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री राम द्वारा एकरारनामा से अधिक भुगतान हेतु कार्यपालक अभियंता से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थीं। इस प्रकार एकरारनामा की राशि 16,99,812/–रूपये के विरूद्ध 18,69,793/– रूपये का भुगतान किये जाने से सरकार को 1,69,981/– रूपये की वित्तीय क्षति हुई है। अतएव श्री राम के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योगय नहीं पाया गया।

द्वितीय– निगरानी विभाग के पत्रांक 1661 अनु0 दिनांक 27.03.14 द्वारा प्राप्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में अरवल जिलान्तर्गत ग्राम–अयरा ग्रामीण लिंक पथ के प्रिमिक्सींग कार्य में कम तापमान पर मिक्स का व्यवहार करने तथा विशिष्टियों के अनुरूप कार्य सम्पादित नहीं करने एवं प्रिमिक्स की लाईनिंग निर्धारित तापमान पर नहीं करने से कालीकृत पथ में स्टोन चिप्स उखड़ा पाये जाने के आरोप में श्री राम के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 584 अनु0 दिनांक 09.02.16 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 एवं 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसके निमित्त अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को

.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

संचालन पदाधिकारी तथा श्री विन्ध्यवासिनी कुमार, सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 035 दिनांक 25.05.2016 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों को इस आधार पर अप्रमाणित बताया गया कि सील कोट टाईप –ए के कार्य के पश्चात ग्रीन स्टेज में ही वाहनों का परिचालन होने से पथ के आंशिक भाग में कहीं कहीं स्टोन चिप्स उखड़ा पाया गया। उक्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन से कराई गयी। अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि बिटुमिन मिक्स में गुणवत्ता की कमी बिटुमिनस मिक्स का Over burnt होना या Laying के समय बिटुमिनस मिक्स के temperature का कम होना तथा Laying के समय कुछ लौट में Premix का temperature मानक के अनरूप नहीं रहने के कारण कहीं–कहीं स्टोन चिप्स उखड़ा हुआ पाया गया।

उपर्युक्त समीक्षा के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 18(2) के तहत श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री राम के पत्रांक शून्य दिनांक 29.04.2019 के के माध्यम से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान में मुख्य रूप से यह उल्लेख किया गया कि बिटुमिनस मिक्स के Over burnt या temperature मानक के अनरूप नहीं होने की स्थिति में पथ आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त नहीं होता अपितु पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता।

श्री राम से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की विभागीय समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि प्रीमिक्सींग में मिक्स के तापमान का ध्यान नहीं रखने एवं कम तापमान के मिक्स का व्यवहार किये जाने के कारण स्टोन चिप्स उखड़ा हुआ पाया गया। उक्त आधार पर श्री राम के द्वितीय बचाव बयान को स्वीकार योगय नहीं पाया गया।

2. उपर्युक्त दोनों मामलों पर समेकित रूप से विचारोपरान्त श्री राम के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिये बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14(vii) के तहत वृहत दंड के रूप में कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

3. उक्त विनिश्चत दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 550 अनु0 दिनांक 12.02.20 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की अपेक्षा की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 210 दिनांक 20.05.2020 द्वारा उक्त दण्ड प्रस्ताव पर आयोग की सहमति प्रदान की गयी है।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री राम चन्द्र राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम 14(vii) के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर स्थायी रूप से अवनति की शास्ति ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

1/6/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

.P) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 1019 /पटना, दिनांकः– 2.6.2020

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 1019 /पटना, दिनांकः– 2.6.2020

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 1019 /पटना, दिनांकः– 2.6.2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को आयोग के पत्रांक 210 दिनांक 20.05.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 1019 /पटना, दिनांकः– 2.6.2020

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल अरवल/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री राम चन्द्र राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–2–56/14 1019 /पटना, दिनांकः– 2.6.2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/6/2020

अपर सचिव